न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या –206 / 2017(राजस्व वाद) दायर दिनांक– 27 / 11 / 17
निर्णय दिनांक– 26-12-2019

अनवान

1– श्री देवजी पिता नाथू पाटीदार निवासी कराडा तहसील सागवाडा
(वादी)

बनाम

1–श्री गौतम पिता वेलजी पटेल निवासी भासौर
2– श्री माधवजी पिता वेलजी पटेल निवासी भासोर
3–श्रीमती कुरी बेवा स्व0 वेलजी पटेल निवासी भासौर
4–राजस्थान सरकार भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री शेलेन्द्रजैन, श्री अजीतसिंह राव
वकील प्रतिवादी – –

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधि0 व धारा 136 भू0रा0 अधि0 बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी का सगा भाई वेलजी पटेल है जो गांव भासोर में जगजी पाटीदार के वहां पर गोद रहने के कारण जगजी पाटीदार के खातेदारी जमीन पर वेलजी दत्तक पुत्र के रूप में काबिज रहा जिस कारण स्व0 वेलजी अन्य जगह गोद के रूप में जाने के कारण वादी के पिता की सम्पत्ति पर हमेशा के लिए हक त्याग दिया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्व0 वेलजी मुतबन्ना स्व0 जगजी पाटीदार निवासी भासौर के वारीसान है । यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित मौजा गांव कराडा की जमाबन्दी खतौनी संवत 2066–69 के खाता नम्बर 482 नया ,418 पुराना में कुल खेत नंग बाईस कुल रकबा 11बीघा 11 बिस्वा है जिस पर एक मात्र कब्जा वादी का ही है ।यह कि वादी उक्त खसरा नम्बरों पर खेती करते आ रहे थे तथा श्री नाथू की मृत्यु के बाद उनके वारीसदार में एक मात्र पुत्र वादी का कब्जा काश्त रहा । यह कि प्रतिवादी संख्या1 से 3 के पिता व पति वेलजी जो गांव भासोर में श्री जगजी पिता श्री बोडा

असल से छाया प्रति
करा मिलान किया

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
30.1.2020
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा

के वहां पर गोद पुत्र के रूप में रहे हैं तथा उन्होंने गोद पूत्र के रूप में जगजी पेता बोडा की खातेदारी जमीन अपने नाम दर्ज करवा दी है जो मौजा भासोर के खातेदारी जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता नम्बर 733नया व 702 पुराना वेलजी मु0 जगजी पटेल दर्ज है ।

यह कि वर्तमान में वेलजी पिता नाथू पटेल के नाम से कोई व्यक्ति गांव कराडा में नही है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 ने उक्त आराजीयात का आधा हिस्सा उनके पिता के नाम से होने से कब्जा सौपने का विवाद किया तो इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी से जानकारी ली । बताया कि वादी के नाम के साथ सहखातेदार के रूप में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के पिता व पति का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । प्रतिवादी नं0 1 से 3 के पिता व पति का नाम जो जगजी पाअभ्दार के वहां पर गोद जाने के बावजूद नाम दर्ज हो गया है जो कि राजस्व विभाग की भूल होकर गैर कानूनी है जिससे वादी का एक मात्र नाम खाते में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की घोषणा नही की गई तो प्रतिवादी 1 से 3 गलत रेकार्ड के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा देंगे ,वादी की आपत्ति पर नामान्तरकरण रोका गया है ।

यह कि उक्त जमीन वादी के पिता नाथू पिता जेता के नाम से है तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद वारीसान में राजस्व कर्मचारियों की त्रूटि से वारीसदार एक मात्र वादी का नाम दर्ज नही हो सका व प्रतिवादीगण के पिता वेलजी जो जगजी पाअीदार निरवासी भासोर के वहां दत्तक पूत्र जाने के बावजूद भी प्रतिवादी नं0 1 से 3 के पिता व पति का विरासती वारीसदार होना बताकर सहखातेदार का फायदा उठाकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करा दिया है।

वादी ने वाद के अन्त में गांव कराडा के दावे में वर्णित खेतों के हाल चालू जमाबन्दी खतौनी संवत 2066–69 के खता संख्या 482 नया 418 पुराना के कुल खेत 22 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में वादी का ही एक मात्र नाम का वाद पत्र में बताये अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है ।

असल से छाया प्रति
कर मिलान किया

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी,सागवाड़ा

वादी द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के थ दस्तावेज असल जमान्दी ,मुत्यु प्रमाण पत्र,असल खाता नकल ,नामान्तरकरण कल भूप्रबन्धविभाग की प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब स्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से दिनांक 25–2–19 एंव 20–5–19 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए जाकर वादी की एक पक्षीय साक्ष्य प्रारम्भ की गई।

वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पीडबलू–1 एवं पीडब्लू –2 की साक्ष्य करा साक्ष्य वादी समाप्त की जाने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्धान वकील वादी ने अपनी साक्ष्य में वाद के साथ प्रस्तु दस्तावेजात को उल्लेख करते हुए वाद पत्र कें तथ्यों को दोहराते हुए बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्धान वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया ।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श – 6 भूप्रबन्ध विभाग मौजा भासोर संवत 2022 में खातेदार के स्थान पर वेलजी मु0 जगजी पटेल सा0देह खातेदार दर्ज है । प्रदर्श–2 वेलजी की मृत्यु दिनांक 23/5/13 को होने का मृत्यु प्रमाण पत्र है ।प्रदर्श– 3 नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 मौजा भासोर है जिसमें खातेदार के स्थान पर वेलजी मु0 जगजी पटेल दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 2404 दिनांक 21/8/14 से वेलजी फौत होने पर वारीसान गोतम,माधवजी पिता वेलजी कुरी बेंवा वेलजी पटेल दर्ज होने का अंकन किया हुआ है ,नामान्तरकरण संख्या 2404 प्रदर्श –4 है ।प्रदर्श– 1 मोजा कराडा की जमाबन्दी संवत 266 के खाता संख्या 482/418 की नकल है जिसमें खातेदार के रूप में वेलजी देवजी पिता नाथू पटेल सा0देह खातेदार दर्ज है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार नाथू पिता जेता के दो पूत्र देवजी एंव वेलजी थे। वेलजी गांव भासोर में श्री जगजी पिता बोडा के वहां पर गोद पूत्र रहा एंव वेलजी की सम्पत्ति पर काबिज हुआ । नाथू की मृत्यु के पश्चात नाथू की कृषि आराजीयात का एक मात्र स्वामित्व देवजी का होना चाहिए एंव नाथू की मृत्यु के पश्चात खाते में

असल से छाया प्रति
करा मिलान किया

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी,सागवाडा

। अकेले का नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन त्रूटि वश वेलजी का नाम भी ब्रातेदार के रूप में दर्ज हुआ जिससे वादी मौजा कराडा की जमाबन्दी संवत 6–69 के खाता संख्या 482/418 में सहखातेदार वेलजी का नाम हटाकर तेदार के रूप में एक मात्र वादी देवजी का नाम दर्ज कराने का अधिकारी है । दी के वाद के प्रतिरोध के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से वाद कार्यवाही के रान कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है एंव न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई । प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के पश्चात भी न्यायालय में द्वपक्षीक्षय कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही केया गया है ।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं डिकी किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मोजा कराडा की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 482/418 कुल खसरा 22 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारान की प्रविष्टि में सहखातेदार वेलजी का नाम हटाये जाने इन्द्राज दुरूस्ती किऐ जाने का आदेश दिया जाता है ।

डिकी पर्चा जारी हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे ।

निर्णय आज दिनांक 26-12-2019 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

असल से छाया प्रति
कर मिलान किया

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा